

171456/2023

5031

S-37

ई फाईल संख्या-49430

प्रेषक,

श्याम सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-लक्सर में 15 निर्माण कार्यों (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र-लक्सर, देहरादून द्वारा निम्नांकित तालिका में वर्णित निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनके अंतर्गत मार्गों की कुल लम्बाई 13.072 कि०मी० एवं लागत ₹692.42 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹670.36 लाख (₹ छः करोड़ सत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 15 कार्यों हेतु कुल ₹1.50 लाख (₹ एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में मोहल्ला छापड में हाजी वाली मस्जिद से अंसारी वकील की कोठी से होते हुए झीवरहेडी तिराहे तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.675	47.24	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में कुन्हारी के सामने से असगर के मकान से रविदास मंदिर की ओर व अलाउद्दीन पुत्र मकसूद के घर से ईदगाह की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.725	45.37	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-लक्सर के नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में मोहल्ला ढाब में कय्यूम मिस्त्री पुत्र श्री सरूर अहमद के घर से हाजी आलमगीर कुरेशी के मकान से होते हुए खाली तक व मोहल्ला दाना खान में हाजी आलमगीर कुरेशी के घर के सामने सगीर पुत्र खलील अहमद के मकान से दादा खान मजार होते हुए इरफान के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.600	21.60	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-लक्सर में ग्राम ऐथल बुर्जग में मस्जिद के सामने से अब्दुल हक, सलीम व पप्पू के घर से पर्वतीय बस्ती, टिहरी विस्थापित की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.300	68.44	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-लक्सर के ग्राम रणजीतपुर (आबादी भाग) से शिवपुरी की ओर इण्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक द्वारा मार्ग पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.000	61.82	0.10
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा	1.000	69.43	0.10

Chief Engineer (Planning)  
P.W.D., Dehradun

17095

AO  
[Handwritten signature]



/171456/2023

	क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर के ग्राम बाकरपुर से रणजीतपुर की ओर इण्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक द्वारा मार्ग पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)			
7.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर के ग्राम अकबरपुर ऊद में श्री सीमेंट फैक्ट्री से महन्त के ट्यूबवेल से होते हुए भूरे देवता तक पी०सी० द्वारा मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.850	26.21	0.10
8.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर के ग्राम मुण्डाखेड़ा कला में मास्टर पारितोष के घर से रेलवे फाटक तक इण्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक द्वारा मार्ग पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.100	50.46	0.10
9.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर में ग्राम अकौड़ा खुर्द में बानके की पुलिया से नकली सिंह दरोगा के ट्यूबवेल तक व रेलवे लाईन की ओर दो पुलिया व खडण्जा द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.835	30.71	0.10
10.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर में ग्राम अकौड़ा खुर्द में ओसपुर मार्ग से बाईपास सेक्टर राजबीर के मकान की ओर एक पुलिया व खडण्जा द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.787	28.50	0.10
11.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर में ग्राम इस्माईलपुर में नाले के पास राजपाल के घर के पास से जूनियर हाईस्कूल तक दीवार व मार्ग का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.600	53.85	0.10
12.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर में ग्राम रजबपुर भूरनी मार्ग से रमेश के खेत तक मार्ग का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.700	29.32	0.10
13.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर में ग्राम टिगरी में नूरहसन के खेत से मेहताब के खेत तक मार्ग में ईट खडण्जा द्वारा निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.800	37.88	0.10
14.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर में ग्राम बुक्कनपुर में गांव कब्रिस्तान की ओर मार्ग में इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा पुनर्निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.300	66.64	0.10
15.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-लक्सर में ग्राम बसेडा खादर में सीधड़ू शनिदेव मंदिर से बहादरपुर की ओर एक पुलिया व खडण्जे द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.800	32.89	0.10
	<b>योग</b>	<b>13.072</b>	<b>670.36</b>	<b>1.50</b>

(₹ एक लाख पचास हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

- नगर निगम/ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित नगर निगम/ग्राम पंचायत से MoU करा लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष



/171456/2023

- जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- iii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)E-20209/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
  - iv. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
  - v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitible आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
  - vi. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
  - vii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
  - viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
  - ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
  - x. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
  - xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  - xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
  - xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - xiv. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 203-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामों डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/170727/2023, दिनांक-22 नवम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**Signed by Shyam Singh****Date: 28-11-2023 17:56:49**

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रकार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि., लक्सर।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/171456/2023  
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23110220037  
आवंटन पत्र दिनांक-30-NOV-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
53-वृहद निर्माण				8110000	150000	0	8260000					
योग				8110000	150000	0	8260000					

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,50,000 (Rupees One Lac Fifty Thousand Only)**

**Approval Status : APPROVED BY OFFICER**



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन- I" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



पत्रांक-1430 /20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक-04 .12.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून